□□□□ □□□□□

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्या□ □□□□□

□□□ □□□
□□□□□ि□□ प्रश्न □ख□□ 1276
28 □□, 2019 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

□ि□□□□ □□□□□□

1276. □□□ □□□□ □□□□□□□□
डा॰ किरिट पी॰ सोलंकोः
□□□ □□□□□□□□ □□□

क□□ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह □□□□□□ो □□□ □□□□ि□□

(□) क□□ □□□□□ □□□□ □च्चों संबंधी □ख□ □□□□, जिसे कुछ राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा अपनाया □□ □□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□/□□□□□ ि□□□ □□□□□ □ि□ □□,□□□ □त□□□□ □□□□□ क□□ □□□□ □ि□ □□ों, □□ □□□□ क□□ □□□□ □;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान परिवार □□□□□□ □□□□□□□ □□□रू□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ द्व□□□ □रू ि□□ गए कायक्रमों और उन पर किये गये व्यय का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-□□□ ब्यौरा क्या है;

(□) □क्त □□□□ □□□□□□□ □ि□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□ज्ञ□पनों/जागरूकता पर कितनी निधि □□ □ो □□ □;

(घ) क्या सरकार का वतमान म उत्तर प्रदेश के सात जिलों म कायान्वित को जा रही परिवार □□□□□□ प्रायोगिक परियोजना को अन्य राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों म कायान्वित करने का विचार है; □□

(□) □ि□ □□,□□□ □त□□□□ ब्यौरा क्या है तथा □ि□ □□ों, तो इसके क्या कारण ह तथा सरकार द्व□□□ □ि□□□□ □□□□□□ □□□□ों □□ □□□□ □□□□□□लिए क्या अन्य कदम उठाए गए ह तथा इसके अन्तगत क्या सफलता प्राप्त □ो □□ □?

□त्त□

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री अश्विनी □□□□ □□□)□

(□): □□ □□ों□

भारत, 1994 म काहिरा म आयोजित को गई अंतराष्ट्रीय जनसंख्या एवं विकास सम्मेलन आईसीपीडी घोषणा का हस्ताक्षरी है, जिसम दम्पतियों को उनके बच्चों को संख्या और उनके जन्म म अंतर रखने के लिए मुक्त रूप से

जिम्मेदारी पूण ढंग से निणय लेने एवं उनके जनन अधिकारों का सम्मान करने का स्पष्ट रूप से समथन किया □□□ □□

(ख): पिछले 3 वर्षों के दौरान परिवार नियोजन के बारे म जागरुकता का सृजन करने हेतु सरका□ द्व□□□ □□□□ गए कायक्रमों और व्यय को गई राशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण क्र□□□ □□□□ग्न□-I □□ II □□ □□

(ग): पिछले 3 वर्षों के दौरान परिवार नियोजन पर विज्ञापनों/जागरुकता हेतु व्यय को गई निधि 70,465 लाख रु. □□

(घ): सरकार द्वारा वित्तपोषित ऐसी कोई पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश म क्रियान्वित नहों है।

(□): प्रश्न □□ों □□□□□

□ि□□□□ □□योजन उपायों को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम अनुलग्नक-I □□ □□

प्र□स □□□□□□□:

- □□□□□ □□ 2005-06 □ 2.7 □□□ □□ 2015-16 □ 2.2 □□ □□□ □□(□□□□□□□□□-IV)
- 36 म से 24 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 2.1 या कम का बदलाव स्तर प्रजनन दर प्राप्त कर चुके □□
- □□□□ □ो □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□–III □ 1.9 □□□ □□ □□□□□□□□□-IV □ 1.8 □□ □□ □□
- □□□□□□ 2005 □ 23.8 □□□ □□ 2017 □ 20.2 □□ □□ □□(□□□□□□)
- किशोर जन्म दर 16 प्रतिशत (एनएफएचएस III) □□□ □□ □□ □□ 8 प्र□□□□ (□□□□□□□□□-IV) □□ □□ □□
- ि□□□□ □□□□□ 47.4 प्र□□□□ (□□□□□□□□□ –III) □□□ □□ □□ □□ 26.8 प्र□□□□ (□□□□□□□□□-IV) □□ □□ □□

प्रारंभ किए गए कायक्रमों और परिवार नियोजन कायक्रम को सुदृढ़ करने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण

1. □□□□ □ि□□□□ □□□□□: सरकार ने, सात उच्च संकेन्द्रण राज्यों म 3 एवं अधिक □ो □□ □□□ □□ (टीएफआर) वाले 146 उच्च प्रजनन जिलों म गभ निरोधक तथा परिवार नियोजन को पहुंच म लाने म पयाप्त वृद्धि करने हेतु मिशन परिवार विकास प्रारंभ किया है। ये जिले उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और असम राज्यों से ह जिनम देश को 44 प्रतिशत जनसंख्या रहती है।
2. □□□ □□□□ □□ □□□□□: पसंद के वतमान गभ निरोधकों म नए गभ निरोधक नामतः इंजेक्टेबल गभनिरोधक तता सटक्रोमेन शामिल किए गए ह।
3. प्रसूति के तत्काल बाद आईयूसीडी इनसजन को एक नई पद्धति अथात् □□स□ □□□□ □□□□□□□ (□□□□□ □□□□□□□) प्रस्तुत को गई है।
4. गभनिरोधकों को नई पैकेजिगः कंडोम, ओसीपी तथा ईसीपी को पैकेजिग म अब और सुधार किया गया है और इन्ह नए रूप म तैयार किया गया है ताकि इन सामग्रियों को मांग बढ़े।
5. बंध्यीकरण स्वीकारकताओं हेतु प्रतिपूर्ति □□□□□ इस योजना के अंतगत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय लाभाथियों को मजदूरी को हानी को और बंध्यीकरण संचालन हेतु सेवा प्रदाता (तथा टी) को □□ प्र□□□□ि □□□□ □□।
6. □□□□□□ □□□□□□ □□□ (□□□□□) □□□□□- यह योजना, प्रत्यायित संगठनों को मोबाइल टीमों के □□ध□म से दूरवर्ती, अल्पसेवित तथा भूगौलिक रूप से दुगम क्षेत्रों म परिवार नियोजन सेवाएं प्रदान करने के लिए 146 मिशन परिवार विकास जिलों म चलाई गई है।
7. □□□□ि□□ों □□रों म आशाकमयों द्वारा गभनिरोधकों को होम डिलीवरी □□□□□□
8. □न□ □ □□□ □□□श्चि□ □□□□□□□□ □□□□ि □□□□□□
9. समाज म उपभोग हेतु आशा कमियों को औषधि किट म □□ □□□ ि□□ □ो व्य□स□□ □ो □□□□□□
10. □ि□□□□ □□□□□□□ □□□□ □त्र प्र□□□ □□□□□□□□ प्र□□□□ (□□□□-□□□□□□□□□):- □□□ स□□ □□ स्वास्थ्य केन्द्रों म परिवार नियोजन सामग्रियों के अबाध पूवानुमान, □□□□ □□□□□□□ □□□श्चि□ □□□□ □□□□□ □□ि□□ □□प□□□□
11. राष्ट्रीय परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना (एनएफपीआईएस) इसके अंतगत बंध्यीकरण के पश्चात मृत्यु, जटिलताओं तथा असफलताओं जैसी संभावनाओं म ग्राहकों का बीमा किया जाता है।
12. सभी राज्यों और जिलों म गुणवत्ता आश्वासन समितियाँ स्थापित करके □ि□□□□ □□□□□□ □□ओं □ परिचया को गुणवत्ता □□□श्चि□ □□□□□
13. □□□□□ों □ो □त□□□□ □□□-भाड़ वाले केन्द्रों म एक काय समपित □□□□□□□□□+ □ परामशदाताओं □ो □□□क्ति□
14. □□ □म□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ध□□ □□न्न□ □□□ □□□ □□□□□□□

□□□□ग्र□-II

□□□□□3 □□र्ौ (2016-17 □□2018-19) के दौरान परिवार नियोजन के बारे म जागरुकता का सृजन करने हेतु एनएचएम के अंतगत किए गए व्यय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण

(लाख रु. म)

क्रं.□□□	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	□□□□ □□□रू□□□ □□□□□ □□ व्य□
□.उच्च फोकस वाले राज्य		
1	□□□□□	4704.9
2	□त्ती□□□□	2093.6
3	□□□□□□ प्र□□	224.4
4	जम्मू और कश्मीर	364.1
5	□□□□□	1892.6
6	□ध्□ प्र□□	6750.5
7	□□□□□	3580.5
8	□□□स्□□□	6370.4
9	□त्त□ प्र□□	15273.7
10	□त्त□□□□	612.6
□. □त्त□-□र्ी □□ज□		
11	□रु□□□□ प्र□□	269.3
12	□□□	4157.2
13	□□□□□	96.7
14	□□□□□	240.3
15	□□□□□□	115.9
16	□□□□□	103.4
17	सिक्किम	38.6
18	□त्रि□□	338.7
□. गैर उच्च फोकस वाले राज्य		
19	आंध्र प्रदेश	543.9
20	□□□□	70.0
21	□□□□□	6714.0
22	□□□□□□	1296.7
23	□□□□□	1719.4
24	□□□	428.3
25	□□□□□ष्ट्र	1393.7
26	□□□□	300.3
27	□□□□□□□□	2120.9
28	□□□□□□	749.0
29	□□श्चि□ □□□□	2079.6
□. □□□□□ज□/□□ □□ज□ क्षेत्र		
30	□□□□□ □□ □□□□□□□ द्वी□ □□□	34.1
31	□□□□□	12.6
32	□□□□□ □□ □□□ □□□□	58.4
33	□□□ □□ □□□	13.5
34	दिल्ली	105.9
35	लक्षद्वीप	5.9
36	□□□□	84.1

*****